सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **151/2020** दायर दिनाँक **16.07.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकुंवार पुत्र झुमरराम जाति जाट निवासी मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी।

दिनाँक **26.03.2021**

–:: **निर्णय** ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 389 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा संख्या 390 रकबा 0.08 हैक्टर तथा खसरा संख्या 391 रकबा 17.62 हैक्टर कुल 17.77 हैक्टर भूमि वाके मावा स्थित है। जिसमें वादी रामकुंवार के पिता स्वर्गीय झुमरराम का गलत नाम पूर्णाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है,।

यह है कि उक्त खेतो की खातेदारी में वादी रामकुंवार के पिता झुमरराम के नाम से अंकन की बजाय पूर्णाराम सहव से दर्ज हो गया, जबकि वादी के पिता का सही नाम झुमरराम है। लेकिन गांव में कई लोग पूर्णा–पूर्णा के नाम से पुकारते रहने के कारण राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन हो गया जो की पूर्ण रूप से गलत है। पूर्णाराम पुत्र गोपीराम नाम का कोई व्यक्ति गांव में भी नही है। तथा वादी के शुरू से लेकर आज तक के सभी दस्तावेजात में वादी के पिता का नाम झुमरराम दर्ज है। वादी के पेन कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा झूमरराम की पत्नि कमला का पहचान–पत्र, झुमरराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र, सरपंच ग्रांम पंचायत मावा का प्रमाण–पत्र वादी की कक्षा 10^{th}, 12^{th} की अंकतालिका, सभी स्कुल व कॉलेज के सर्टीफिकेट व प्रमाण पत्र, नामान्तरण पंजीका की नकल वर्ष 1999 की, उचित मुल्य दुकान व ग्राम विकास अधिकारी मावा का प्रमाण–पत्र आदी सभी सदस्तावेजात में वादी के पिता का नाम झुमरराम दर्ज है।

यह है कि उक्त [illegible] नाम का गलत दर्ज होने के कारण सरकारी सहायता [illegible] कार्यो में भारी अड़चने आने लग गयी है। [illegible] नाम की सही अंकन करवाना चाहता है।

प्रार्थना निम्न प्रका[illegible]

(क) खेत खसरा संख्या 389 [illegible] 0.07 हैक्टर, ख[illegible] संख्या 390 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा संख्या 391 रकबा 17.62 हैक्टर कुल 17.77 हैक्टर वाके

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:18:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मावा की खातेदारी में वादी के पिता के नाम का गलत अंकन पूर्णाराम की जगह झूमरराम अंकन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर किया गया। वादी की तरफ से वकील श्री हीरसिंह बलारा ने वकालतनामा पेश किया।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक विविध/ए.सी.एम. कार्ट/20/1970 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मावा के खसरा सं0 389, 390, 391 में खातेदार पूर्णाराम पुत्र गोपीराम कौम जाट रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदार पूर्णाराम पुत्र गोपीराम के समस्त पहचान दस्तावेजों (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, पेन कार्ड) में झुमरराम पुत्र गोपीराम कौम जाट दर्ज है। ग्राम पंचायत मावा के प्रमाण पत्र में झुमरराम पुत्र गोपीराम कौम जाट सही होना बताया गया है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम झुमरराम पुत्र गोपीराम कौम जाट दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद मावा के खेत खसरा सं0 389 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा सं0 390 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा सं0 391 रकबा 17.62 हैक्टर कुल रकबा 17.77 हैक्टर में सहखातेदारी में वादी का नाम पूर्णाराम पुत्र गोपीराम के स्थान पर झुमरराम पुत्र गोपीराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 26.03.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:18:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 151/2020 दायर दिनॉक 16.07.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकुंवार पुत्र झुमरराम जाति जाट निवासी मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनॉक 26.03.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद मावा के खेत खसरा सं0 389 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा सं0 390 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा सं0 391 रकबा 17.62 हैक्टर कुल रकबा 17.77 हैक्टर में सहखातेदारी में वादी का नाम पूर्णाराम पुत्र गोपीराम के स्थान पर झुमरराम पुत्र गोपीराम दुरूस्त किया जाता है । तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.03.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			[illegible]		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			[illegible]		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल [illegible] का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:18:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner